संख्या- 1879/23-11-2018-1/2(144)/2018

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 — लखनऊ : दिनांक 01 ~~जनवरी~~ फरवरी 2019

विषयः- जनपद पीलीभीत में पीलीभीत-बस्ती मार्ग के कि0मी0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के कि0मी0 372 तक पीलीभीत बाईपास के निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-950/प्रा0आगणन-पीलीभीत/सेतु-6/17, दिनांक 17-07-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पीलीभीत में पीलीभीत-बस्ती मार्ग के कि0मी0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के कि0मी0 372 तक पीलीभीत बाईपास के निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य (रेलवे भाग की लागत रु0 897.14 लाख) की आंकलित लागत रु0 2680.60 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ अस्सी लाख साठ हजार मात्र+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में लागत के सापेक्ष रु0 200.00 लाख (रुपया दो करोड़ मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अनुदान सं0-57 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में पीलीभीत-बस्ती मार्ग के कि0मी0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के कि0मी0 372 तक पीलीभीत बाईपास के निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य।	2680.60 + जी0एस0टी0 नियमानुसार देय	157.58	42.42	200.00

2- विषयगत परियोजना के लिये कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ होगी।

3- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर

ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(7) सेन्टेज चार्ज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही कार्यदायी संस्था को भुगतान/जमा की जायेगी।

(8) विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयाः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(10) विभाग द्वारा सेतु के वित्तपोषण में रेलवे की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव में जिन मदों की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है इसे इन्डीकेटिव दरें मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस निमिताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। विभाग द्वारा निर्माण के समय इसका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रभाग द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्थाविभाग का होगा।

(13) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(14) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्श सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(15) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियां एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

(16) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति की लागत प्रस्तावित की गयी है। अतः भूमि अधप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर विभाग द्वारा और अधिक प्रयास किये जा सकते है।

23/03/22
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
पीलीभीत

(7)

(17) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(18) प्रश्नगत परियोजना के लिये उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 कार्यदायी संस्था होगी।

(19) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 लेखाशीर्षक-5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-101-पुल-05-रेलवे उपरिगामी सेतु-0517-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिये एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक-5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-19-रेलवे उपरिगामी सेतु/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिये एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

2- वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-875/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 के प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-253/दस-18, दिनांक 28 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- /23-11-2019-1/2(144)/2018-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
5- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (पुल), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8, उ0प्र0 शासन।
10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
13- निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
उप सचिव।

5·2·19
प्र·प·नि (नि/परि·)/
वि·नि·/
मु·प·प (ROB)/(बरेली)

प·नि